-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 07.12.2024 को थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को वादी श्री सोमपाल पुत्र गोवर्धन नि0 ग्राम बालपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसका पुत्र उम्र करीब 14 वर्ष घर से बिना बताये चला गया है, काफी खोजने पर भी नही मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 495/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा की शीघ्र तलाश हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना को0देहात पर तत्काल 03 टीमो का गठन किया गया, टीमो द्वारा आस पास की सीसीटीवी फुटेज चैक की गयी व सोशल मीडिया के माध्यम मे गुमशुदा बच्चे की तलाश हेतु प्रचार प्रसार किया गया। टीम द्वारा की गयी कार्यवाही के आधार पर आज दिनांक 15.12.2024 को गुमशुदा बच्चे को लावारिस अवस्था मे घुमते हुए चिलकाना अड्डे से बरामद करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर गुमशुदा बच्चे को सकुशल उसके परिजनो के सपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा अपने बच्चें को सकुशल पाकर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

गुमशुदा बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 242 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
6. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर गौकश अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 स्कोर्पियो, 01 पिकअप गाड़ी व 4400/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 23.11.2024** को वादी श्री दिलशाद पुत्र इदरीश निवासी मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घेर में बंधे 02 भैंसे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0-220/24 धारा 305 (1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया **तथा दिनांक 03.12.2024** को वादी श्री रमेश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बेहड़ा खुर्द थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के ट्यूबैल के कमरे से वादी की अमेरिकन गाय को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 225/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.12.24 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण **1. युसुफ पुत्र हारून निवासी कुन्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल पता मौ0 मंगतापुरी निराला थाना सिकैड़ा जनपद मुजफ्फरनगर 2. रिजवान उर्फ काला पुत्र कबीर निवासी सिरचंदी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 3. सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 4. जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरौड़ा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर मुजफ्फराबाद सबरीपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0-220/24 में धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व मु0अ0स0-225/24 में धारा 317(2), 112(2), 3(5), 317(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारा पशु चोरी का एक गैंग है जिसमें हम चारो व हमारे अन्य साथी सभी मिलकर गाय व भैंसो को काट कर इनका मांस बेचकर लाभ कमाते हैं। हमारे पास एक स्कोर्पियो एक पिकअप गाड़ी है दिनांक 30.11.2024 को आवारा पशु चोरी करने के लिए बिलासपुर यमुनानगर गये थे परन्तु पशु न मिलने पर वापस आते समय कस्बा मुजफ्फराबाद से पिकअप में 03 आवारा गाय व एक गाय ग्राम बेहड़ा की ट्यूबवैल से स्कारपियो गाड़ी में लादकर ग्राम सिरचंदी में अपने साथी रिजवान के यहाँ पर काट कर मांस 32000 रूपये में बेच दिया था। जिसमें हम सभी के हिस्से में चार-चार हजार रूपये आये थे जिसमें से युसुफ के पास 500 रूपये व रिजवान के पास 200 रूपये व सद्दाम के पास 700 रूपये व जीशान के पास 1000 रूपये मिले हैं बाकी रूपये खर्च हो गये थे व गांव मुजफ्फरी से दो भैंसे चोरी कर जंगल में काट कर मांस को स्कारपियो में ले जाकर 24000 रूपये में बेच दिया गया था जो रूपये हमने खर्च कर लिये हैं। बड़ी नहर के पास गाँव सरकड़ी खुमार से एक मकान से एक गाय चोरी करके नहर के किनारे आम के बाग में काट कर मांस को हम स्कारपियो गाड़ी में ले जाकर बेच दिया था और अवशेष वहीं पर छोड़ दिये थे जिनमें से पाँच पाँच सौ रूपये हमारे पास से बरामद हुए हैं शेष 2000 रूपये खर्च हो गये थे। हम सभी ने पहाड़पुर नागल से एक भैंस व उसका लवारा व एक भैंसा चोरी कर उन्हें जंगल में काटकर मांस को स्कारपियो में लाद कर बेच दिया था व कस्बा बिहारीगढ से दो भैंस चोरी कर उन्हें जंगलो में काटकर मांस को स्कारपियो में लाद कर बेच

दिया था। ग्राम गीसहीदपुर से दो गाय व एक बैल व ग्राम सिरचन्दी व सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर से भी हमने गोवंशीय पशु चोरी कर काटकर मांस को बेच दिया गया था व अन्य घटनाऐं भी की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. युसुफ पुत्र हारून निवासी कुन्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल पता मौ0 मंगतापुरी निराला थाना सिकैड़ा जनपद मुजफ्फरनगर
2. रिजवान उर्फ काला पुत्र कबीर निवासी सिरचंदी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
3. सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरौड़ा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 स्कोर्पियो रजि0 नं0 HR548585 इन्जन नं0 BS64H57429 चैसिस नं0 MA1TB2BSL62J88496
- 01 पिकअप रजि0 नं0 HR38W2928 इन्जन नं0 TBG4G75462 चैसिस नं0 MA1ZP2TBKG2G53606
- गोकशी के उपकरण (01 लकडी का गुटका, 02 छुरी, 01 कुल्हाडी, 01 चापड़ व 01 रस्सा)
- 4400/- रूपये नकद

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त युसूफ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 70/2018 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 640/2016 धारा 5क/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 420 भादवि थाना गंगोह स0पुर
3. मु0अ0सं0 193/2017 धारा 323/324/325/504/506 भादवि व थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 274/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 248/2020 धारा 188/269/270 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 518/19 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 492/13 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 347/08 धारा 459 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 257/07 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 258/07 धारा 302/304/379/394 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 282/07 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 88//10 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना तीतरो सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 320/07 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
14. मु0अ0स0 350/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 477/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 220/24 धारा 305(a) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 225/24 धारा 303(2)/317(2)/112(2)/3(5)/317(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना फतेहपुर

अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 350/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 477/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 220/24 धारा 305(a) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर

5. मु0अ0सं0 225/24 धारा 303(2)/317(2)/112(2)/3(5)/317(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर

<u>अभियुक्त सददाम का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 254/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 111/19 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 85/23 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 58/12 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 003/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 461/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 390/23 धारा 120बी/380/411/457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 420/23 धारा 120बी/380/411/457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/25/4 आयुद्ध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 152/23 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 156/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 253/19 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
16. मु0अ0स0 350/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 477/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 220/24 धारा 305(a) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 225/24 धारा 303(2)/317(2)/112(2)/3(5)/317(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना फतेहपुर

<u>अभियुक्त जीशान का आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना को0 मण्डी स0पुर
2. मु0अ0सं0 330/21 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 331/21 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 333/21 धारा 414 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेडी स0पुर
6. मु0अ0सं0 115/22 धारा 307/34 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
7. मु0अ0स0 117/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नानौता स0पुर
8. मु0अ0सं0 118/22 धारा 420/465 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 390/23 धारा 120बी/380/411/457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 412/23 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 420/23 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 69/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 173/24 धारा 305(ए)/317(2) भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर

16.मु0अ0स0 350/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर
17.मु0अ0सं0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ सहारनपुर
18.मु0अ0सं0 477/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
19.मु0अ0सं0 220/24 धारा 305(a) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
20.मु0अ0सं0 225/24 धारा 303(2)/317(2)/112(2)/3(5)/317(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. का0 1551 अमित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
9. का0 811 दीपक कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
10. है0का0 1046 सतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
11. है0का0 272 जोगेन्द्र मलिक थाना फतेहपुर सहारनपुर
12. का0 952 अरविन्द थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सारिम मलिक पुत्र कुर्बान मलिक निवासी मण्डी समिति रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 728/24 धारा 64(1)123 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निक्ट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2024 को अभियुक्त **सारिम मलिक पुत्र कुर्बान मलिक निवासी मण्डी समिति रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को अग्रसेन चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सारिम मलिक पुत्र कुर्बान मलिक निवासी मण्डी समिति रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 357 अनुज मलिक थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 275 सचिन थाना सदर बाजार सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री नफीस पुत्र नसीर निवासी ग्राम हौजखेडी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1.मुनीर पुत्र जहीर 2.मुजफ्फर 3. अब्दुल हक, 4. अब्दुल सलाम 5., जुलफुक्कार, 6.जहीर पुत्रगण तुफैल व 7.मोहसीन पुत्र जहीर व .नईम पुत्र शकील 9. इन्तजार पुत्र शकील निवासीगण ग्राम हौजखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा लाठी डण्डो व धारदार हथियारो से वादी व उसके परिवारीजनों के साथ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर देना व जबरदस्ती मुन्तजीर अहमद के घर में घुसकर सभी के द्वारा मारपीट करना तथा आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-325/24 धारा-/191(2)/191(3)/190/281/333/115(2)/118(1)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया। तथा पीडित की मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 110/117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मुनीर पुत्र जहीर निवासी हौजखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को हौजखेडी चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुनीर पुत्र जहीर निवासी हौजखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 जयवीर सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 388 कपिल तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एव मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.12.2024 को थाना मण्ड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **चाँद पुत्र फिरोज निवासी पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन हिम्मत नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को कलसिया रोड के मोड से बाबालाल दास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 30 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 468/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रह है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि अपने खर्चो को पूरा करने के लिये मै अक्सर ठेके से शराब खरीद कर रेट बढाकर चलते फिरते राहगीरो के बेचकर थोडा बहुत मुनाफा कमा लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चाँद पुत्र फिरोज निवासी पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन हिम्मत नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 30 पव्वे अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 310 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वतीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त /वारंटी भैरो सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी मौहल्ला वेदविहार कालौनी थाना सदर बाजार** सम्बन्धित वाद सं0 11982/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट को मौ0 वेदविहार कालौनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भैरो सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी मौहल्ला वेदविहार कालौनी थाना सदर बाजार

गिरफ्तार अभियुक्त भैरो का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 37/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 492/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 177/18धारा 420/468/471 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 825 मनोज थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारपुर।

दिनांकः 15.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,000/- रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 15.12.2024 कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **आरिफ पुत्र असलम निवासी मौहज्जम कालोनी नूर बस्ती निकट मेहराज मस्जिद थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को गली न0 2 अलसी बाग राधा विहार के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से **110 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई ।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतावाली नगर पर मु0अ0सं0 301/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं मजदूरी का काम करता हूँ तथा नशे की आदत है। पैसों के लालज में पिछले कुछ दिनों से चरस बेचने का कारोबार करता हू। आज भी मै एक व्यक्ति को चरस देने जा रहे था कि आपने चैकिंग के दौरान पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र असलम निवासी मौहज्जम कालोनी नूर बस्ती निकट मेहराज मस्जिद थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 110 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत लगभग 10,000/- रूपये)

अभियुक्त विक्रम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 289/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना कोत0 नगर स0पुर
2. मु0अ0सं0 121/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोत0 नगर स0पुर
3. मु0अ0सं0 54/22 धारा 147,323,504,506 भादवि चालानी थाना कोत0 नगर स0पुर
4. मु0अ0सं0 80/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना कोत0 नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 978 अंकित भड़ाना थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.12.2024

आज दिनांक 15.12.2024 को रिजर्व पुलिस लाईन, जनपद सहारनपुर में स्वतंत्र भारत के वास्तुकार भारत रत्न लौह पुरूष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 वीं जयन्ती वर्ष पर्यन्त (31 अक्टूबर, 2025 तक) मनाये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय एकता के संदेश को फैलाने के लिए 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन कराया गया जिस का शुभारम्भ श्री सिद्धार्थ वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद सहारनपुर द्वारा हरी झण्डी दिखा कर किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री बीरेन्द्र बहादुर रिजर्व पुलिस लाईन, जनपद सहारनपुर व अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे व रेस में उच्च कोटि का प्रर्दशन करने वाले प्रतिभागी को श्री सिद्धार्थ वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद सहारनपुर द्वारा पुरूष्कृत किया गया। रन फॉर यूनिटी का परिणाम निम्नवत हैः—

—:महिला:—

1. दीपा	प्रथम स्थान
2. पूनम	द्वितीय स्थान
3. बेबी	तृतीय स्थान

—:पुरूष:—

1. विनित	प्रथम स्थान
2. अमित	द्वितीय स्थान
3. रविकान्त	तृतीय स्थान

दिनांकः 15.12.2024

-प्रेस नोट-

आज दिनांक 15.12.2024 को रिजर्व पुलिस लाईन, जनपद सहारनपुर में श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक नगर व श्री सागर जैन, पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा क्रिकेट पिच का उद्घाटन किया गया, इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक, श्री बीरेन्द्र बहादुर रिजर्व पुलिस लाईन, जनपद सहारनपुर व अन्य अधि0/कर्म0 उपस्थित रहे व पुलिस लाईन, जनपद सहारनपुर तथा पुलिस लाईन, जनपद बागपत का मैत्री मैच कराया गया, जिसमें सहारनपुर टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया व बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन पर 04 विक्रेट गवाते हुए बागपत टीम के लिए 181 रन लक्ष्य खडा किया, लक्ष्य का पीछा करते हुए पुलिस लाईन, जनपद बागपत ने 05 विकेट से मैच जीतते हुए 19.3 ओवर 183 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सहारनपुर टीम की ओर से रोहित मान ने 64 रन का सर्वाधिक स्कोर 44 बॉल में व विजेता टीम जनपद बागपत की ओर से आदित्य मलिक ने 37 बॉल में 53 रन बनाये।